तारीख हुक्म	न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजाखेड़ा हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज बनाम: फुलाराम बनाम दीवानसिंह मुकदमा नम्बर: 128/16 दावा	अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
22.6.18	आज यह पत्रावली राजस्व लोक डाकेल अभियान न्याय आपके इस कैम्प खुशिल में पेश हुई। पक्षकार हाजिर, सुनवाई की गयी। यह प्रकरण कब्जादखा है। प्रारम्भिक डिक्री पूर्व में हो चुकी है। अतः कैम्प में ही मौके पर पत्रावली हकूक के मुताबिक प्रस्ताव तैयार कराये गये। मुताबिक प्रस्ताव पर कोई आपत्ति किसी पक्ष द्वारा प्रकट नहीं की। अतः हक दावा मुताबिक मुताबिक प्रस्ताव अन्तिम रूप से डिक्री किया जाना उचित समझते हैं। अतः आदेश है कि दावा वादी मुताबिक मुताबिक प्रस्ताव इस प्रकार से अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है कि वादी फुलाराम पुत्र गोलीराम जाति बघेला का देह के हिस्से में आ.क.न. 553/2 पाकीजा किस्म रकबा 09 बिघा स्थिर ग्राम खनपुरा रहेगी तथा प्रतिवादी सं. 1 दीवानसिंह पुत्र गोलीराम जाति बघेला का देह के हिस्से में आ.क.न. 553/1 (मध्य पूर्व) रकबा 07 बिघा स्थिर ग्राम खनपुरा रहेगी तथा प्रति सं. 2 पशु चिकित्सालय खनपुरा के हिस्से में आ.क.न. 553/3 (उत्तर पूर्व कोने) रकबा 02 बिघा रहेगी तथा दीवानसिंह फुलाराम पुत्र गोलीराम जाति बघेला का देह के संयुक्त हिस्से के आराजी क.न. 553/4 गैरमुमकिन रकबा 01 बिघा की आराजी स्थिर ग्राम खनपुरा रहेगी। उपरोक्त अनुसार राजस्व रिकार्ड में वादी व प्रतिवादीगण के पक्ष में खाते कायम किये जावें। पत्रावली डिक्री जारी हो। पत्रावली कैमल कुमार द्वारा तकमील दाखिल दफ्तर हो। हुक्म सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
राजाखेड़ा (धौलपुर)